कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522–234001 Website- www.datiamedicalcollege.com
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com
पता– 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिनकोड – 475661

पत्र क्रमांक – 3703 /द.चि.म./2021 दतिया, दिनांक – 20/05/2021

//विज्ञप्ति सूचना//

// समस्त नर्सिंग महाविद्यालय /स्कूल से उत्तीर्ण उम्मीदवार, स्टॉफ नर्स के लिए//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2–20 /2020/1/55, भोपाल दिनांक 17.11.2020 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पृष्ठाकंन क्रमांक 1554 –63/स्था./अराज /2020 भोपाल दिनांक 19.11.2020 के परिपालन में **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया, में स्टाफ नर्सो के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय/ अशासकीय /मान्यता प्राप्त नर्सिंग महाविद्यालय /स्कूल एवं अन्य संस्थाओं से बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एन.एम. उत्तीर्ण उम्मीदवारों** से एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निर्धारित शर्तो के अधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है:–

रिक्त पदों की संख्या संवर्ग में घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में स्टाफ नर्स के स्वीकृत पदों पर नवीन राज्य स्तरीय आरक्षण मॉडल रोस्टर लगाने के उपरांत, श्रेणीवार रिक्त पदों का वर्गीकरण :–

क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग (ओपन)	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	योग
		महिला	महिला		
1.	अनारक्षित	39	05	03	47
2.	अनुसूचित जाति	23	03	02	28
3.	अनुसूचित जन जाति	29	03	02	34
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	38	05	03	46
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	14	02	01	17
	योग	**143**	**18**	**11**	**172**

वेतनमान एवं अन्य भत्ते :–

01. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3–13/2019/3/एक, भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के परिपालन में परीविक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय हेगी। परीविक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

03. आरक्षण

01. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदेश के अनुसार होगा।
02. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमिलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
03. आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही दिया जावेगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
04. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग(आरक्षण प्रकोष्ठ) के ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक(पार्ट), भोपाल दिनांक 03 जुलाई 2018 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों में 06 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होने के कारण जारी विज्ञापन में दिव्यांग हेतु 06 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गये हैं।
05. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यार्थियों को निःशक्ता प्रमाण–पत्र जबलपुर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
06. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एम–9/2012/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2012 द्वारा भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के संबंध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशो का पालन किया जावेगा।
07. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जारी विज्ञप्ति में किया गया है।
08. मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7–22/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 30 मई 2019 द्वारा विशेष पिछडी जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) के लिए किए गए विशेष प्रावधान के पालन में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के न्यूनतम अर्हताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जावेगी। (आवेदन का प्रारूप संलग्न है तथा उक्त उम्मीदवार सीधे संस्था को आवेदन पत्र पर अपना आवेदन प्रस्तुत करें।)

04. आवेदन शुल्क :–

अनारक्षित श्रेणी हेतु 1200/–(बारह सौ रूपये) एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर) एवं निःशक्तजन उम्मीदवारों के लिए 1000/– (एक हजार रूपये) निर्धारित किये जाते है।

05. आयु सीमा :–

अधिकतम आयु म.प्र. शासन के नियमानुसार होगी। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन के नियमानुसार होगी। समस्त पदो के लिए न्यूनतम आयु–सीमा 18 वर्ष ताकि अधिकतम आयु–सीमा 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग, स्वशासी में कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेगें।

06. सामान्य शर्ते :–

01. यह नियुक्ति " **मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018**" के अधीन होगी।
02. यदि कोई आवेदक किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन पत्र के साथ मूल नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृत प्रमाण पत्र एवं अन्य उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

03 आयु की गणना 01 जनवरी 2021 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

04 पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।

05 दस्तावेज सत्यापन के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा,उन्हे स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

6 नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तो के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तो में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

7 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिए अहर्ताधारी हो तो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देना होगा।

08 यदि आवेदक पूर्व से अन्य शासीकीय संस्था में सेवारत् है तो उसे आवेदन को मूल नियोक्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

09 अधिष्ठाता, दतिया चिकित्सा महाविद्यालय दतिया किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

10 चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, दतिया चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं आध्यकारी होगा।

11. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ,ग्वालियर में विचाराधीन होगा।

12. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

07 अनहर्तायें :—

- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा—किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायाता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जाएगा।
- विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्वविवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पिर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल पर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंध किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा। यदि उसके शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप दपव्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध हुआ हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ है।
- जिस आवेदक की दो से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे।

08 चयन प्रक्रिया (स्टाफ नर्स का वेटेज निम्नानुसार रहेगा):—

- मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, के ज्ञापन क्रमांक एफ 2—20/2020/1/55. भोपाल दिनांक 09.04.2021 के परिपालन में **उपरोक्त पदों हेतु एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित कराई जावेगी तथा एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची के अनुक्रम में योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा उसके उपरांत ही आरक्षणवार रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां प्रदान की जावेगीं।**
- प्रत्येक श्रेणी हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा स्टॉफ नर्स की पृथक—पृथक प्रवीणीय सूची तैयार की जावेगी। स्टाफ नर्स की सामान्य प्रवीणीय सूची भी तैयार की जावेगी।
- प्रवीणीय सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते है तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी। जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम आर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये है ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक प्राप्त अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।
- दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12वीं परीक्षा की अंकसूची में शैक्षणिक योग्यतानुसान भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान नहीं होने पर अभ्यार्थी को आयोग्य घोषित किया जावेगा।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार को दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।
- संबंधित उम्मीदवार आवेदन करने के उपरांत लिखित परीक्षा हेतु एम.पी. ऑनलाईन की बेवसाईट का सतत् अवलोकन करते रहे।

आवेदन संबंधित समय तालिका :–

क्रमांक	गतिविधि	दिनांक
01	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रारम्भ होने की तिथि	
02	ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	
03	ऑनलाईन परीक्षा की तिथि	

10. आवेदन करने की प्रक्रिया :–

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लेवे। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते है।
- आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्केन की गई प्रतियां उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :–

01. जन्मतिथि के लिये हाई स्कूल परीक्षा की मार्कशीट / जन्म प्रमाण–पत्र / सर्टिफिकेट।
02. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के संबंध में संबंधित डिग्री / डिप्लोमा / अन्तिम वर्ष की अंकसूची।
03. मध्यप्रदेश नर्सिग कौसिंल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
04. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
05. उम्मीदवार का नवीन फोटो (जिस पर नाम एवं दिनांक अंकित हो) एवं हस्ताक्षर।
06. 12 वीं कक्षा की अंकसूची (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी विज्ञान)।
07. आरक्षित श्रेणी के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र / आर्थिक रूप से कमजोर प्रमाण पत्र।
08. प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं हस्ताक्षर सहित 200 KB अधिक न हो।

- **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :–** आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.gov.in पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए एवं एम.पी. ऑनलाइन www.mponline.gov.in पर Authorised kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
- **इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि :–** आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.gov.in बेवसाईट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवाएँ ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर ड्राप डाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के लोगो पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन में जा कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा होने पर एम.पी.ऑनलाइन के कस्टमर केयर नम्बर 0755–67202000, 0755–6720222 एवं ई–मेल आईडी helpdesk@mponline.go.in पर आवेदक सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
- आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी.ऑनलाइन के www.mponline.gov.in के माध्यम से या शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com दिए गए लिंक से दी गई जानकारी और शर्तो का अच्छी तरह से अध्ययन करने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म पर क्लिक करें इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक को फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही–सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फॉर्म पृष्ठ के नीचे की ओर एक बटन ब्राउज दिखाई देगा। जिसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी Hyperlink को लिंक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन कर (JPG 200 KB SIZE और मिनीमम) फॉर्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक ब्राउज बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

- आवेदक ऑनलाईन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें की फॉर्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फॉर्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरांत सबमिट बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to payment बटन पर क्लिक करेगा तो उसे शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

  1. क्रेडिट/डेबिट कार्ड 2. इंटरनेट बैंकिंग।

अ. **क्रेडिट /डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** – आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भर सकता है। ऑनलाईन फॉर्म भरने के उपरांत शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट /डेबिट के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के उपरांत शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधित जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

ब. **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान** – आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भरकर शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाईन फॉर्म भरने के उपरांत Proceed to payment बटन पर क्लिक करने पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लॉग–इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट अवश्य लें।

- **एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि** – आवेदक ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाईन के अधीकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.govt.in वेबसाईट ओपन कर अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड डालकर लॉग–इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग इन करेगा। इसके उपरांत सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फॉर्म भरने संबंधित निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियाँ फॉर्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फॉर्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाईन फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ सही–सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें आवेदक कियोस्क संचालक को आवेदन शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

- जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जावेगी।

- यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फॉर्म का कियोस्क के माध्यम से पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन लिंक द्वारा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताए गए बिंदु में दर्शाई गई विधि अनुसार फॉर्म भरने के उपरांत आपके नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फॉर्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा इसके उपरांत कियोस्क संचालक पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन में उक्त जानकारी भरकर फॉर्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to payment बटन दबाकर शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क का भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

ऑनलाईन पेमेंट करने पर यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है/पेमेंट रसीद जनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

महत्वपूर्ण टीप :—

- उपरोक्त तिथियाँ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com एवं एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाईट www.mponline.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय—समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जाएगी, परंतु इसके उपरांत भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

- मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 7—22/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 30 मई, 2019 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति (सहरिया, बैगा एवं भारिया) के लिए किए गए विशेष प्रावधान के पालन में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवुपरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिंडौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति के न्यूनतम अहर्ताधारी आवेदकों को भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना नियुक्ति प्रदान की जाएगी। उन अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया मे डाक या स्वयं आकर आवेदन पत्र की अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक — 3703—07/द.चि.म./2021
दतिया, दिनांक 20/05/2021

<u>प्रतिलिपि —निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित् —</u>

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. शासन, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल, म.प्र.।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग एवं अध्यक्ष, शा.चि.महा. स्वशासी समिति, दतिया।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में स्टाफ नर्स हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(स्टॉफ नर्स – सीधी भर्ती)

स्वप्रमाणित फोटो

1. पदनाम – स्टाफ नर्स
2. आवेदन का पूरा नाम – .... उपनाम ....
3. पिता/पति का नाम – .... उपनाम ....
4. जन्म तिथि (अंको में) – ..../.........../......................
   जन्म तिथि (शब्दों में) – ....
5. वर्तमान निवास का पूर्ण पता – ....
   तहसील – ....जिला – ....राज्य – ....पिन – ....
6. स्थाई निवास का पूर्ण पता – ....
   तहसील – ....जिला – ....राज्य – ....पिन – ....
7. अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
8. विवाहित होने की स्थिति में विवाह की तिथि – ....
9. नर्सिंग कौंसिल का जीवित पंजीयन क्रमांक – .... दिनांक ....
10. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक – .... दिनांक ....
11. सेवारत (नियमित/संविदा) होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् तीसरी संतान न होने का स्वघोषित शपथ–पत्र संलग्न करें।
13. विधवा/परित्यकक्ता/तलाक शुदा की स्थिति में नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तद्विषयक शपथ पत्र संलग्न करें।
14. शैक्षणिक योग्यातएं – (सभी बोर्ड 10वीं एवं 12वीं एवं स्नातक परीक्षा एवं अनिवार्य योग्यता की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्रमांक	परीक्षा का नाम	संस्था/महाविद्यालय का नाम	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)
    - i. जन्मतिथि के लिए कक्षा 10वीं की अंकसूची।
    - ii. कक्षा 12वीं की अंकसूची
    - iii. स्नातक परीक्षा की अंकसूची
    - iv. म.प्र. राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस. /दिव्यांग/भू.पू.सैनिक के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
    - v. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
    - vi. आधार कार्ड की छायाप्रति
    - vii. अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य संस्थाओं में कार्यरत होने पर मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
    - viii. अन्य प्रमाण पत्र

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

स्वप्रमाणित शपथ पत्र

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरूद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरूद्ध कोई विभागीय जाँच प्रचलन मं नहीं है।
3. मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी भी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मं विचाराधीन है।
4. मुझ पर मध्यप्रदेश शासकीय/स्वशासी चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 के नियम एवं संशोधित नियम पूर्णरूपेण बंधनकारी होगें।
5. मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न जानकारी, दस्तावेजों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति कूट रचित/फर्जी पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी निरस्त मान्य करते हुए मेरे ऊपर वैधानिक कार्यवाही की जावे।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम